भागलपुर समाहरणालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या .... दिनांक ....

आर० चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम लुकमानपुर थाना नं० 29 राजस्व थाना बिहपुर अंचल खरीक जिला भागलपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विजय घाट के समीप कोशी नदी पर कुल 12 कि०मी० लम्बाई में पहुँच पथ, गाईड बाँध एवं उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम लुकमानपुर थाना नं० 29 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश 36.78 एकड़ जो कुल 36.78 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खसरा संख्या निम्न प्रकार है –

पूर्ण खसरा नं० 1136, 1169, 1170, 1171, 1184, 1017, 1022, 1052, 1057, 1065, 1066, 1067, 1070 तथा अंश खसरा नं० 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1144, 1166, 1167, 1168, 1172, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1010, 1012, 1014, 1015, 1016, 1021, 1023, 1024, 1035, 1036, 1037, 1038, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1063, 1064, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073 एवं 1077 है तथा जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है –

उत्तर – पूर्ण खसरा नं० 1138, 1018 तथा अंश खसरा नं० 1131, 1132, 1134, 1135, 1139, 1137, 1140, 1069, 1068, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1038, 1036, 1035, 1024, 1023, 1021, 1167, 1168, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 एवं अंश सिमाना मौजा परतापनगर थाना नं० 124 है।

पूरब – पूर्ण खसरा नं० 1018, 1019, 1138 एवं अंश खसरा नं० 1185, 1056, 1037, 1055, 1144, 1179, 1054, 1051, 1068, 1069, 1140, 1139, 1020, 1137, 1053 तथा अंश सिमाना मौजा परतापनगर थाना नं० 124 है।

दक्षिण – पूर्ण खसरा नं० 1138 एवं अंश खसरा नं० 1137, 1139, 1130, 1132, 1135, 1073, 1072, 1071, 1134, 1069, 1077, 1063, 1064, 1062, 1056, 1058, 1014, 1015, 1016, 1012, 1010, 1166, 1172, 1173, 1177, 1180, 1176, 1181, 1186, 1185 एवं 1019 है।

पश्चिम – पूर्ण खसरा नं० 1138, 1018, 1019 एवं अंश खसरा नं० 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1144, 1073, 1072, 1071, 1069, 1077, 1063, 1064, 1056, 1058, 1014, 1015, 1016, 1012, 1020, 1172, 1180, 1181 एवं 1183 है।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित 1984 एवं बिहार संशोधित अधिनियम 11 जून 1961 की धारा (4) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार के राज्यपाल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 (क) की उप धारा संख्या (2) यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते है और बिहार राज्यपाल की राय में उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा उसका अर्जन तुरन्त एवं अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्त्ता,
भागलपुर

ज्ञा0सं0–14/डी0एल0ए0 भागलपुर (विजयघाट कोशी पुल)–06/2013– 2626/रा0, पटना–15, दिनांकः– 14/11/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, भागलपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचना प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

13/11/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।